न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हँसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–212/2025 (2025/498)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.शंकरलाल पुत्र सुखराम 2.ओमाराम पुत्र सुखराम 3.पारसराम पुत्र सुखराम 4.भंवरलाल पुत्र सुखराम 5.मालाराम पुत्र चुन्नीलाल 6.भीकाराम पुत्र भूराराम के कायम मुकाम:– 6/1 उगमाराम पुत्र स्व. भीकाराम 6/2 हंसराज पुत्र स्व. भीकाराम 6/3 श्रवण पुत्र स्व. भीकाराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण–ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।		1.शिवराम पुत्र कानाराम 2.अर्जुनराम प्रजापत पुत्र जयराम 3.खिवराज पुत्र जयराम 4.गोपादेवी पत्नी किशनाराम 5.चेतनराम पुत्र लूटाराम 6.दमराज पुत्र लूटाराम 7.बस्तीराम पुत्र लूटाराम 8.बादरराम पुत्र कानाराम 9.मुनाराम पुत्र जयराम 10.मालाराम पुत्र लूटाराम 11.राजूराम पुत्र लूटाराम 12.लीला पत्नी जगदीश 13.विरेन्द्र पुत्र जगदीश 14.श्याम पुत्र जयराम 15.संजय पुत्र किशनाराम 16.सुनील कुमार पुत्र किशनाराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर। 17.तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रहलादसिंह ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 16 अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 17 की और से सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक :–03-6-2025

1. पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर के निवासी है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 की कृषि भूमियां सेवाला नगर पटवार हल्का शिकारपुरा तहसील लूणी जोधपुर में आई हुई है तथा एक दूसरे के खेत के सेढा (माठ) पड़ौसी है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 616 क्षेत्रफल 5.6170 किस्म बारानी प्रथम, एवं खसरा संख्या 617 क्षेत्रफल 1.6673 किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 7.2843 हेक्टेयर वाके ग्राम सेवाला नगर पटवार हल्का शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है, जो अंतिम चौसला आधार संवत 2077–2080 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) स्थाई खाता संख्या नया 103 व पुराना 78 से स्पष्ट है, जिसमे खातेदार काश्तकार की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा संख्या 616 व 617 में से आवागमन हेतु एक पौराणिक (प्रार्थीगण के पिताजी के समय से) रास्ता अप्रार्थीगण 1 से 16 की भूमि खसरा संख्या 615 में से होते हुए चलता है, जो प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क ए सी बी दर्शाया गया है, वही से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में बिना किसी रोक टोक आवागमन करता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड व नक्शे में उक्त रास्ता दर्ज नही है, इसलिए अप्रार्थीगण समय–समय पर उक्त रास्ते को बन्द कर देते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा यह रास्ता

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

प्रार्थीगण के लिए नजदीकी व लघुतम रास्ता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 616 व 617 मौजा ग्राम सेवाला नगर तहसील लूणी जिला जोधपुर में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 की भूमि खसरा संख्या–615 हेक्टेयर 7.8266 प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शाये बिन्दु ए से बी तक स्वीकृत किये जाने एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाया जाकर नक्शे में तरमीम किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को भेजे गये नोटिस की रजिस्टरर्ड ऐडी की रसीदे वकील प्रार्थीग्ण के पेश की जो शामिल मिसल हो। परन्तु अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं एवं नही जवाब पेश किया गया है।

3. तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2026/1617 दिनांक 04.05.2026 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि (जोत) में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है, मौका फर्द में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 616, 617 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 615 के पूर्वी माठ की तरफ प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम रास्ता व कम दूरी माप निम्नानुसार है लम्बाई 246 फीट x 30 फीट = रकबा 7380 वर्ग फीट या 0.0686 हैक्टयर है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 246 फीट तथा चौडाई 30 फीट तथा रास्ते का कुल रकबा 7380 वर्ग फीट (0.0686 है.) बनता है प्रस्तावित रास्ता मौका फर्द में लाल स्याही में दर्शाया बिन्दु A से B तक दर्शाया गया है। जिसकी DLC राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 2 के तहत नये मार्ग में DLC रेट से कुल निम्नानुसार 5327300 रूपये प्रति हैक्टयर है। रास्ता कायम करने की अनुशंषा की गई है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अद्वययन किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता A से B तक खसरा नम्बर 615 में से गुजरता है प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत सेवाला नगर के खसरा नम्बर 616, 617 में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता है प्रस्तावित रास्ता लघुतम भी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो अनुसार स्वीकार योग्य है।इस परिस्थिति में प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता A से B तक दिया जाना उचित प्रतीत होने से मौका फर्द में अंकित A से B तक रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। मौका फर्द दिनांक 25.02.2026 का अभिन्न अंग समझा जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि मौका फर्द में अंकित A से B तक 20 फीट रास्ता क्षेत्रफल 0.0457 हैक्टेयर स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि स्वीकृत चौडाई अनुसार अप्रार्थीगणों को क्षति पूर्ति राशि चैक/बैंक ड्राफ्ट के प्रार्थीगणों से प्राप्त कर सुपुर्द करें। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद कर कायम कर खुलवाना सुनिश्चित करें। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी